संख्या-70/आई/1271950/2026/007-89-1002/11/2025

प्रेषक,

मनोज वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता अनुभाग लखनऊ: दिनाँक: 19 मार्च, 2026

विषय- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देवरिया में स्वीकृत निर्माण संबंधी कार्यों हेतु अवशेष वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-655/तीन/वि0-4/सामान्य कार्य/2025-26(2), दिनांक 17.03.2026 के संदर्भ में अवगत कराना है कि जिला योजनान्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देवरिया में संस्थान में वर्कशॉप (मैकेनिकल मोटर वाहन), टॉयलेट ब्लॉक (पुरुष और महिला), पार्किंग (दो पहिया और चार पहिया वाहन) का निर्माण और मरम्मत कार्य हेतु शासनादेश संख्या-40/आई/897090/2025/001-89-1002/11/2025 दिनांक 04.03.2025 द्वारा 492.34 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि रू0 44.34 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देवरिया में स्वीकृत निर्माण संबंधी कार्यों हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 04.03.2025 एवं उसमे उल्लिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत की जा चुकी धनराशि के सापेक्ष निम्न विवरण के अनुसार अवशेष धनराशि **रूपये 448.00 लाख (रूपये चार करोड़ अडतालीस लाख मात्र)** को स्वीकृत करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

धनराशि रूपये लाख में

क्र0 सं0	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम व जनपद	कार्य का विवरण	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी धनराशि	वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत की जा रही अवशेष धनराशि	कार्यदायी संस्था
1	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देवरिया	संस्थान में वर्कशॉप (मैकेनिकल मोटर वाहन), टॉयलेट ब्लॉक (पुरुष और महिला), पार्किंग (दो पहिया और चार पहिया वाहन) का निर्माण और मरम्मत कार्य	492.34	44.34	448.00	ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) व्यय होने वाले सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(3) किसी भी वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व निदेशालय का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,48,00,000 (रुपये चार करोड़ अड़तालीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 069 लेखा शीर्षक 4250002030500 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का भवन निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव,</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन,उ0प्र0,लखनऊ।
4- जिलाधिकारी देवरिया।
5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-11/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
6- वित्त नियंत्रक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
7- निदेशक, संबंधित कार्यदायी संस्था।
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- संबंधित प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, (द्वारा निदेशक)।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।